इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)

नीलामी हेतु निविदा

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो में अनुपयोगी कम्प्यूटर, प्रिंटर, लैपटाप, यू.पी.एस एवं अन्य उपकरणो के नीलामी हेतु जी.एस.टी. में पंजीकृत फर्म से निविदा आमंत्रित हैं :–

निविदा शर्ते –

1. कुलसचिव इंदिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ में निविदा शुल्क 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) का चेक दिनांक 25-01-2018 तक जमा करना होगा ।
2. नीलामी राशि 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) का चेक जमा लिया जावेगा ।
3. विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउन लोड कर निर्धारित प्रारूप में निविदा भर कर कार्यालय कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के नाम सें दिनांक 25-01-2018 समय 4.00 बजे तक जमा लिया जावेगा।
4. नीलामी दर अंकित करने के पूर्व सभी सामग्री/ उपकरणो का अपने इंजीनियर के माध्यम से अवलोकन कराना अनिवार्य होगा ।
5. सामग्री/उपकरणो की कीमत का 10 प्रतिशत से अधिक का राशि अंकित करना अनिवार्य होगा । समस्त सामग्री की अधिकतम दर अंकित करने वाले फर्म/कम्पनी की दर मान्य होगी । दर अंकित करते समय प्रत्येक सामग्री/उपकरणो का पार्ट्स एवं सीरियल क्रमांक अंकित करना होगा ।
6. निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
7. आदेश जारी होने के एक माह के अंदर सामग्री/उपकरणो को विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर परिवहन कराना होगा परिवहन व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा।
8. निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
9. फर्म द्वारा भुगतान की शर्तें :– चेक जमा करने के बाद वि. वि. से सामग्री/उपकरणो ले जाने की अनुमति होगी।

टीप :– सामग्री/उपकरणो की विवरणात्मक सूची संलग्न हैं ।

कुलसचिव

अनुपयोगी सामग्री की नीलामी हेतु निविदा का प्रारूप

क्र.	निविदा जमा करने हेतु शर्त	प्रमाण स्वरूप निविदाकर्ता दस्तावेज संलग्न करे
1.	कुलसचिव इंदिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ में निविदा शुल्क 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) का चेक दिनांक 25.01.18 तक जमा करना अनिवार्य है । चेक का क्रमांक दिनांक अंकित करते हुए संलग्न करे ।	
2.	नीलामी राशि 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) का चेक कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य है। चेक का क्रमांक दिनांक अंकित करते हुए संलग्न करे।	
3.	निविदा के साथ जी.एस.टी. में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।	
4.	आयकर कार्यालय द्वारा आबंटित पैन नम्बर की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं ।	
5.	आधार नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं ।	

कुलसचिव

हस्ताक्षर एवं सील
निविदाकर्ता आपूर्तिफर्म/निर्माता कम्पनी